राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप (नमामि गंगे) उत्तराखण्ड, की राज्य गंगा समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 26.12.2017 का कार्यवृत

उत्तराखण्ड सरकार के गजट नोटिफिकेशन सं0 1053 दिनांक 17.4.2017 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य गंगा संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबंधन समिति (उत्तराखण्ड गंगा समिति) का गठन किया गया था। उक्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 26.12.2017 को मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित मुख्य सभागार में आहूत की गयी। बैठक में संरचना के सापेक्ष उच्चस्तरीय अधिकारियों की प्रतिभागिता निम्नानुसार थी–

1. श्री उत्पल कुमार सिंह – मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन– अध्यक्ष
2. श्री अरविन्द सिंह हयाँकी– सचिव पेयजल एवं स्वच्छता तथा वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन
3. डा. राघव लंगर – अपर सचिव, पेयजल (नमामि गंगे) तथा कार्यक्रम निदेशक, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप– सदस्य संयोजक
4. श्री वी.के. सुमन – अपर सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन
5. श्री एल.एन पंत – अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन
6. श्री एस.वी. शर्मा – मुख्य वन संरक्षक, नमामि गंगे परियोजना, उत्तराखण्ड
7. डॉ. अनिल गौतम – प्यूपल सांइस इंस्टीट्यूट– नामित सदस्य
8. डॉ. एस सरकार – आई.आई.टी रूड़की, नामित सदस्य श्री ए.ए. काजमी के स्थानापन्न

डॉ. राघव लंगर, अपर सचिव एवं कार्यक्रम निदेशक, नमामि गंगे द्वारा मुख्य सचिव एवं राज्य गंगा समिति के अध्यक्ष तथा अन्य प्रतिभागी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा एजेण्डावार जानकारी प्रस्तुत की गई।

बैठक में हुए एजेण्डावार विचार विमर्श तथा मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिए गये निर्देशों का विवरण निम्नवत है–

एजेण्डा बिन्दु 1– दिनांक 16.08.2017 को आहूत राज्य गंगा समिति की प्रथम बैठक में लिए गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या

(i)नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं की स्थिति–

(क) सीवरेज परियोजनाएं–

एन.जी.आर.बी.ए. में स्वीकृत 13 परियोजनाओं तथा नमामि गंगे कार्यक्रम में स्वीकृत 21 परियोजनाओं की वित्तीय/भौतिक प्रगति से राज्य गंगा समिति को अवगत कराया गया। विस्तृत विवरण एजेण्डा बिन्दु संख्या 2 में प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ख) रीवर फ्रन्ट परियोजनाएं

हरिद्वार में चल रहे चण्डीघाट विकास कार्य लागत रू 50.36 करोड़ वैपकॉस को आवंटित 11 स्नान घाट तथा 10 शमशान घाटों अनुमानित लागत रू. 64.33 करोड एवं सिचांई विभाग को आवंटित 9 स्नान घाटों तथा 11 शमशान घाटों अनुमानित लागत रू. 56.76 करोड के सम्बन्ध में हुए विचार विमर्श एवं दिये गये निर्देशों का उल्लेख एजेण्डा बिन्दु 2 में किया जा रहा है।

(ग) रीवर सरफेस क्लींनिंग कार्य

हरिद्वार में चल रहे रीवर सरफेस क्लींनिंग कार्य की स्थिति का उल्लेख एजेण्डा बिन्दु संख्या 2 में किया जा रहा है।

(घ) वार्षिक योजना 2017–18

एस.पी.एम.जी. द्वारा पूर्व में 2017–18 की वार्षिक योजना रू. 185.03 करोड़ एन.एम.सी.जी. को प्रेषित कर दी गई थी, तद्नुरूप त्रैमासिक मांग के अनुसार धनराशि आवंटित की जा रही है।

(ii) **राज्य गंगा समिति द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही**– कार्यक्रम निदेशक एस.पी.एम.जी. द्वारा मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया गया की राज्य में स्थापित शिक्षण संस्थानों, होटलों एवं धर्मशालाओं के सीवेज ट्रीटमेंट प्रक्रिया के निरीक्षण हेतु प्रतिनिधानित अधिकारियों के क्रम में एक टीम गठित की गयी है, जो शिक्षण संस्थानों, होटलों एवं धर्मशालाओं पर जाकर निरीक्षण कर सीवेज का पर्याप्त शोधन नहीं करने वाली संस्थाओं की सूची तैयार कर उनको नोटिस जारी करेगी। साथ ही, एस.पी.एम.जी. कार्यालय में एक शिकायती रजिस्टर भी बनाया गया है जिसमें सीधे सीवरेज का पानी गंगा में प्रवाह करने वाले अधिष्ठानों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें दर्ज की जायेगी एवं उनपर कार्यवाही की जायेगी। निर्देशित किया गया कि शिक्षण संस्थानों, होटलों एवं धर्मशालाओं के

प्रमुखों की विभिन्न स्थलों पर बैठकें आमंत्रित कर विद्यमान सीवर लाईन में संयोजन कराये जाने एवं सीवेज शोधन संयत्र स्थापित कराने हेतु प्रभावी प्रवर्तन के साथ–साथ सही जानकारी प्रदान करने/क्षमता विकास कराने के प्रयास भी किये जायें।

(iii) **स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समन्वय–** गत बैठक में दिए गये निर्देशों के अनुक्रम में Gross Polluting Industires एवं Water Quality Monitering Stations की सूची उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त कर ली गई है तथा सूचनाओं का नियमित आदान–प्रदान किया जा रहा है।

(iv) उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट हेतु शुल्क में छूट प्रदान किया जाना है– उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान को एस.टी.पी. अधिष्ठापन एवं संचालन शुल्क में छूट प्रदान करने का निर्णय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक में लिया जाना प्रस्तावित है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक निकट भविष्य में अपेक्षित होना अवगत कराया गया। साथ ही आवश्यक समन्वय करने हेतु कार्यक्रम निदेशक SPMG को निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 2– नमामि गंगे कार्यक्रम में परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा

(अ) सीवेज ट्रीटमेंट सम्बन्धी परियोजनाएं

(i) सीवेज शोधन संयत्र सम्बन्धी परियोजनाएं (एन.जी.आर.बी.ए. के अन्तर्गत स्वीकृत)

कार्यक्रम निदेशक, द्वारा एन.जी.आर.बी.ए. के पूर्ण कार्यो के अन्तर्गत बिछाई गई सीवर लाइन तथा अधिष्ठापित सीवेज ट्रीटमैंट प्लान्ट की जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि एन.जी.आर.बी.ए. के अन्तर्गत 13 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसमें से 08 योजनाएं पूर्ण एवं चालू की जा चुकी है, 05 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है किन्तु अभी चालू नहीं हो पायी है। पूर्ण की गई 05 योजनाओं में से गंगोत्री, बद्रीनाथ एवं जोशीमठ की योजनाओं को यात्रा सीजन से पूर्व चालू किये जाने हेतु मुख्य सचित द्वारा निर्देशित किया गया। मुख्य सचित द्वारा योजनाओं के पूर्ण होने में लगे अत्यधिक समय पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्यप्रणाली सुधार के लिए निर्देशित किया गया।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा इंगित किया गया कि पूर्ण किए जा चुके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की अधिष्ठापित क्षमता के सापेक्ष उपयोग में ली जा रही क्षमता को बढ़ाने की आवश्कता है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि सीवरेज सिस्टम से कवर्ड क्षेत्र में समस्त feasible घरेलू/व्यवसायिक भवनों के सीवर संयोजनों की संख्या में वृद्धि की जाए। साथ ही नई स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत अनकवर्ड नगरीय क्षेत्र में प्रस्तावित सीवर लाइन यथाशीघ्र डाली जाय। विशेषतः बद्रीनाथ तथा गंगोत्री धाम में यह कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाय।

(ii) नमामि गंगे में स्वीकृत नई इंटरसेप्शन डाइवर्जन तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाएं

कार्यक्रम निदेशक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि National Mission Clean Ganga (एन.एम.सी. जी.) द्वारा 15 नगरों की आई.एण्ड डी. एवं एस.टी.पी. की कुल 21 योजनाओं अनुमानित लागत रू. 875.04 करोड की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 12 परियोजनाओं के कार्य प्रारम्भ किये जा चुके है, 06 परियोजनाओं की निविदाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं अनुबन्ध की कार्यवाही गतिमान है, 02 योजनाएं जो विश्व बैंक द्वारा पोषित है में सें 01 योजना की निविदा का मूल्यांकन गतिमान है एवं 01 योजना पर निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया में है। 01 योजना जो केदार धाम की है की निविदा पर निर्णय को वर्तमान समय में स्थगित रखा गया है। एन.एम.सी.जी. द्वारा समस्त योजनओं के स्वीकृति आदेश में योजनाओं को पूर्ण करने की तिथि निर्धारित की गई है एवं एन.एम.सी.जी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि समस्त कार्यो को दिसम्बर 2018 तक पूर्ण कराया जाना है। मुख्य सचिव महोदय, द्वारा नई स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यो को निर्धारित समय सीमा से पूर्व पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि योजना के कार्यो की सूक्ष्मता से समीक्षा कर वास्तविक रूप से आवश्यक समय सीमा निर्धारित कर निर्माण अवधि कम की जाये एवं कम की गई अवधि से अनुबन्धित फर्मो को भी अवगत कराया जाए। निर्धारित समय सीमा से पूर्व पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय हुआ–

1. नई स्वीकृत परियोजनाओं में कार्यो की वांछित गुणता को बनाए रखते हुए निर्धारित समय सीमा से पहले पूर्ण कराने की व्यवस्था की जाए। इस हेतु यदि अनुबन्धित फर्मो को कतिपय इनसैन्टिव दिया जाना प्रस्तावित है तो NMCG को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।
2. Nehru Institute of Mountaineering (NIM) तथा अन्य विभागों द्वारा केदारनाथ में विशेष प्रयासों से शीतकाल में भी कार्यो का निष्पादन किया जा रहा है। इसी प्रकार उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा भी बद्रीनाथ धाम में शीतकाल में कार्य जारी रखने हेतु कार्य योजना बनाई जाए।
3. प्रबन्ध निदेशक जल निगम द्वारा सूचित किया गया कि अनुबन्धित फर्मो को उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट नियमों के अन्तर्गत ब्याज पर मोबिलाइजेशन एडवान्स दिए जाने का प्राविधान है जिस कारण अनुबन्धित फर्मो द्वारा एडवान्स लेने में रूचि नहीं ली जा रही है। यदि अनुबन्धित फर्मे समय सीमा से पूर्व कार्य पूर्ण करने हेतु सहमति देती है तो इन्सेन्टिव के रूप में बिना किसी ब्याज के मोबलाईजेशन एडवान्स की धनराशि दिये जाने पर विचार किया जाना उचित होगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाएं 100% केन्द्र पोषित है अतः राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से बिना ब्याज के मोबिलाइजेशन एडवान्स देने की स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस संबध में प्रस्ताव NMCG एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. मुख्य सचिव महोदय, द्वारा केदारनाथ धाम हेतु स्वीकृत केदारनाथ Pollution Abatement and Ghat Development works के अन्तर्गत कार्यो का निर्धारण केदारनाथ धाम में Redevelopment Plan को अन्तिम रूप दिये जाने पर जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत किए जाने के निर्देश दिए गए।

(ब) नमामि गंगे कार्यक्रम में रिवर फ्रन्ट विकास परियोजनाओं की समीक्षा

कार्यक्रम निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा 21 नहाने के घाट एवं 22 शमशान घाटों की अनुमानित लागत रू. 171.45 करोड की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से 12 नहानें एवं 11 शमशान घाटों अनुमानित लागत रू. 114.69 करोड का निर्माण वैपकॉस द्वारा एवं 9 नहाने एवं 11 शमशान घाटों अनुमानित लागत रू. 56.76 करोड का निर्माण सिचांई विभाग द्वारा कराया जा रहा है। उक्त सभी घाटों पर निर्माण प्रगति में है। हरिद्वार में चल रहे चण्डीघाट विकास कार्यो के विषय में कार्यदायी संस्था वैपकॉस के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कार्यो की निर्धारित समाप्ति तिथि सितम्बर 2019 है परन्तु इस परियोजना को निर्धारित तिथि से 9 माह पूर्व दिसम्बर 2018 में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसी प्रकार वैपकॉस को आवंटित अन्य स्नान एवं शमशान घाटों के निर्माण कार्य मार्च 2018 तक पूर्ण किये जाने लक्षित हैं।

मुख्य सचिव महोदय, द्वारा इसकी प्रशंसा करते हुए रिवर फ्रन्ट विकास के कार्यो हेतु कार्यरत दूसरी कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग को भी निर्धारित समय सीमा से पूर्व कार्यो को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सिंचाई विभाग द्वारा उनको आंबटित घाट निर्माण कार्यों को पूर्व निर्धारित समयावधि से पहले पूर्ण कर लेने का आश्वासन दिया गया। मुख्य सचिव महोदय, द्वारा वैपकास को शमशान घाटों पर अवशिष्ट राख के समुचित निस्तारण के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए जो कि जनमानस को स्वीकार्य हों।

(स) गंगा नदी पर वानिकी हस्तक्षेप कार्यो की समीक्षा

मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग द्वारा संक्षेप में अवगत कराया गया कि फोरेस्ट्री इंटरवेन्शन के अन्तर्गत वन अनुसंधान संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड हेतु 885.91 करोड की योजना प्रस्तुत की गई थी जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में 15.93 करोड एवं 2017–18 में 19.56 करोड की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016–17 13.35 करोड एवं वर्ष 2017–18 में 2.04 करोड का व्यय किया गया है। मुख्य वन संरक्षक नमामि गंगे द्वारा वन विभाग द्वारा फोरेस्ट्री इंटरवेन्शन के अन्तर्गत प्रस्तावित वनीकरण, गंगा वाटिका, भूमि संरक्षण आदि कार्यो की जानकारी देते हुए सूचित किया गया कि हरिद्वार, ऋषिकेश एवं उत्तरकाशी स्थानों पर गंगा वाटिका मार्च 2018 तक स्थापित कर दी जाएगी। कार्यक्रम निदेशक, एस.पी.एम.जी. द्वारा सुझाव दिया गया कि महाराष्ट्र में वृक्षारोपण की Sustainability को सुनिश्चित किये जाने के अनुश्रवण हेतु, वृक्षों की ई–टैगिंग की गई है। यह कार्य उत्तराखण्ड राज्य में भी उपयोगी हो सकता है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि महाराष्ट्र में किये गये ई–टैगिंग के कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर राज्य में भी प्रयोगात्मक रूप से तकनीक के प्रयोग पर कार्यवाही की जाए।

(द) हरिद्वार तथा ऋषिकेश में रिवर सरफेस क्लीनिंग कार्यो की समीक्षा

कार्यक्रम निदेशक एस.पी.एम.जी. द्वारा अवगत कराया गया कि हरिद्वार एवं ऋषिकेश में ट्रैश स्किमर एवं ब्रूम द्वारा नदी सतह की सफाई का कार्य मै0 अश्वथ इन्फ्राटैक को एन.एम.सी.जी द्वारा सीधे अनुबन्धित किया गया है। इस फर्म द्वारा प्रारम्भ में ऋषिकेश एवं हरिद्वार में ट्रैश स्किमर एवं ब्रूम स्थापित किये गये थे किन्तु नदी का प्रवाह अत्यधिक होने के कारण वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, इसी कारण ऋषिकेश से ट्रैश स्किमर एवं ब्रूम हटा दिये गये थे। वर्तमान में एक ट्रैश स्किमर एवं ब्रूम हरिद्वार में स्थापित है जिसका अनुश्रवण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। एस.पी.एम.जी., नगर निगम हरिद्वार, एवं मै0 अश्वथ इन्फ्राटैक के मध्य 03 वर्ष के लिए त्रिपक्षीय अनुबन्ध किया गया है।

एजेण्डा बिन्दु 3– नमामि गंगे कार्यक्रम में प्रस्तावित परियोजनाएं

(अ) वाह्य सहायतित KfW पोषित परियोजनाएं

उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा उत्तराखण्ड के पांच नगरों– हरिद्वार, ऋषिकेश, तपोवन, मसूरी एवं देहरादून के सीवरेज कार्यों हेतु रु. 1150 करोड़ (150 मिलियन यूरो) के प्रस्ताव KfW को प्रस्तुत किए गये हैं जिन पर वित्तीय सहायता हेतु KfW द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ब) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यो की समीक्षा

कार्यक्रम निदेशक, एस.पी.एम.जी. द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को उत्तराखण्ड के चयनित Priority Towns में से चार नगर समूहों (clusters) की डी.पी.आर. प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य शहरी विकास विभाग द्वारा अन्य योजनाओं के माध्यम से करवाये जाने के निर्देश दिये हैं तथा वर्तमान समय तक नमामि गंगे कार्यक्रम अंतर्गत SWM का कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। मुख्य सचिव महोदय, द्वारा बैठक में उपस्थित निदेशक शहरी विकास विभाग को गंगा नदी के तट पर स्थित उत्तराखण्ड के प्रमुख नगरों के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के PPP Model के Self Sustainable प्रस्तावों पर आवश्यकतानुसार Viability Gap funding हेतु डी.पी.आर. एस.पी.एम. जी. के माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उपरोक्त कार्य हेतु कार्यक्रम निदेशक एस.पी.एम.जी. द्वारा वांछित समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु 4– सूचना शिक्षा एवं संचार के कार्यो की समीक्षा –पूर्ण एवं चालू गतिविधियों का व्यय सहित विवरण एवं अनुमोदन

बैठक में गंगा संरक्षण एवं स्वच्छता हेतु राज्य में की गई IEC एवं जन–जागरूकता हेतु पूर्ण एवं गतिमान गतिविधियों–कार्यशालाओं, नमामि गंगे ट्रैक, गंगा आर्ट मैराथन, डाकुमैन्ट्री, विज्ञापनों, गंगा घाट सफाई, अभियानों का विवरण प्रस्तुत किया गया जिस पर राज्य गंगा समिति द्वारा सहमति देते हुए जनजागरूकता अभियानों को जारी रखते हुए जनता में गंगा स्वच्छता हेतु व्यवहार एवं आचार–विचार में परिवर्तन लोने के लिए नए प्रयोग भी करने की इच्छा व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु 5– कार्यदायी संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन सम्बन्धी मुख्य बिन्दु

उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा नई स्वीकृत परियोजनाओं में वन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सिंचाई विभाग से विभिन्न कार्यों हेतु अनापत्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में वांछित शुल्क उपलब्ध धनराशि से जमा कराते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये।

एजेण्डा बिन्दु 6 – राज्य गंगा समिति एवं जिला गंगा समितियों के कार्यकलापों की समीक्षा

कार्यक्रम निदेशक, एस.पी.एम.जी. द्वारा गवर्निंग काउन्सिल को नमामि गंगे के अंतर्गत बनायी गयी जिला गंगा समिति एवं राज्य गंगा समितियों के कार्यो के बारे में भी अवगत कराया गया। मुख्य सचिव द्वारा राज्य गंगा समिति एवं समस्त जिला गंगा समितियों के मध्य नियमित संचार की व्यवस्था स्थापित किये जाने के निर्देश दियें गये ताकि सभी जिला गंगा समितियों में प्राप्त समस्याओं का नियमित निस्तारण एवं अनुश्रवण हो सके। उक्त व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी कार्यालय में एक डैस्क बना दिया जाय। प्रस्तावित डैस्क में समस्या निस्तारण का विवरण अंकित हो। साथ ही एस.पी.एम.जी. में भी एक संक्षिप्त विवरण पुस्तिका बनाने के निर्देश दिये गये, जिसमें यह विवरण उपलब्ध हो कि जिला गंगा समिति की कुल कितनी समस्याओं का निस्तारण एस.पी.एम.जी. द्वारा किया गया।

Raghav

एजेण्डा बिन्दु 7– नमामि गंगे कार्यक्रम हेतु वर्ष 2018–19 की कार्ययोजना

राज्य गंगा समिति को उत्तराखण्ड में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 हेतु कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त कार्ययोजनाएं कुल धनराशि रू. 412.33 करोड़ प्रस्तुत की गई जिसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को प्रेषित करने के अनुमोदन के साथ यह निर्देश भी दिये गये कि परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

कार्यक्रम निदेशक, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप एवं सदस्य संयोजक राज्य गंगा समिति द्वारा मुख्य सचिव महोदय एवं समस्त प्रतिभागी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

(डा. राघव लंगर)
आई.ए.एस.
कार्यक्रम निदेशक, एस.पी.एम.जी.
एवं
सदस्य संयोजक
राज्य गंगा समिति

पत्रांक:- 69/SPMG/NGRBA/SGC/01 दिनांक:- 16-01-18

प्रतिलिपि:

1. स्टाफ ऑफिसर,मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ लाने हेतु प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता, उत्तराखण्ड शासन।
7. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड।
8. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड शासन।
9. डा० ए.ए. काजमी, प्रवक्ता, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूडकी।
10. डा० ए.के. लोहानी, वैज्ञानिक 'जी' राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूडकी।
11. डा० सन्तोष राय, वैज्ञानिक 'डी' वाडिया हिमालय भू–विज्ञान संस्थान, देहरादून।
12. डा० अनिल गौतम, प्यूपिल सांइस संस्थान, देहरादून।
13. डा० विशाल सिंह, सेन्टर फॉर इकोलोजिकल डेवलपमेन्ट एवं रिसर्च, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

कार्यक्रम निदेशक, एस.पी.एम.जी.
एवं
सदस्य संयोजक
राज्य गंगा समिति